भारत सरकार **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं.1691**
वाणिज्य विभाग

दिनांक 10 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

काला नमक चावल का निर्यात

1691. श्री जगदम्बिका पाल:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि.

(क) वर्ष 2012 में भौगोलिक संकेतक (जीआई) टैग की घोषणा के बाद में काला नमक चावल के निर्यात का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काला नमक चावल को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, और

(ग) क्या सरकार अन्य स्वदेशी अनाज, दाल या अनाज किस्मों को जीआई टैग देने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) भारत में, उत्पादों को सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 के तहत अधिसूचित 8-अंकों के टैरिफ आइटमों में वर्गीकृत किया जाता है। बासमती चावल को छोड़कर, काला नमक चावल सहित चावल की अन्य जीआई किस्मों के लिए दिनांक 30 अप्रैल 2025 तक की स्थिति अनुसार कोई अलग एचएस कोड नहीं था। तदनुसार, वर्ष 2011-12 से वर्ष 2024-25 तक गैर-बासमती चावल के निर्यात संबंधी आंकड़े निम्नवत हैं:

वर्ष	निर्यात मूल्य (मिलियन अमरीकी डॉलर में)	निर्यात मूल्य (करोड़ रू. मे)	मात्रा मीट्रिक टन में
2011-12 से 2024-25 तक	52615.1	377647.7	134006142.7

स्रोत:डीजीसीआईएस

दिनांक 1 मई 2025 से सरकार ने भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा मान्यता प्राप्त चावल के लिए नई टैरिफ मदें सृजित की गई हैं, जिसमें काला नमक चावल भी शामिल है। तदनुसार, भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा मान्यता प्राप्त चावल का निर्यात डेटा, जो अप्रैल 2025 से नवंबर 2025 तक उपलब्ध है, निम्नवत है:

एचएस कोड	उत्पाद	निर्यात मूल्य (मिलियन अमरीकी डालर में)	निर्यात मूल्य (करोड़ रू. में)	मात्रा मीट्रिक टन में
10063091	अन्य चावल, जीआई मान्यता प्राप्त (गैर-बासमती)	40.20	347.11	46267.80
10063011	पारबॉयल्ड चावल, जीआई मान्यता प्राप्त	36.75	316.82	46417.20
जीआई मान्यता प्राप्त गैर-बासमती चावल का कुल योग		**76.95**	**663.93**	**92685.00**

स्रोत: डीजीसीआईएस

(ख) वाणिज्य विभाग, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के माध्यम से, अपनी वित्तीय सहायता योजना (एफएएस) के माध्यम से काला नमक चावल सहित अपने अनुसूचित उत्पादों के निर्यात प्रोत्साहन हेतु अपने सदस्य निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस योजना के तीन घटक अर्थात्, निर्यात अवसंरचना का विकास, गुणवत्ता विकास और बाजार विकास है। योजना के दिशानिर्देश एपीडा की वेबसाइट www.apeda.gov.in पर "योजना" टैब के अंतर्गत उपलब्ध हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त, काला नमक चावल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निम्नवत कदम उठाए गए हैं:

i. काला नमक चावल को भारत में प्रमुख अंतरराष्ट्रीय खाद्य व्यापार मेलों में प्रदर्शित किया गया है, जिनमें वर्ल्ड फूड इंडिया (दिल्ली) और इंडस फूड (नोएडा) शामिल हैं, और साथ ही, दुबई में आयोजित गल्फूड के कई संस्करणों में भी इसे प्रदर्शित किया गया है, जो वैश्विक खाद्य मेलों में से एक है और भारतीय चावल के लिए एक प्रमुख निर्यात गंतव्य है। प्रचार के तहत एफपीओ और हितधारकों को प्रदर्शनी स्थल उपलब्ध कराया गया और खरीदारों से संपर्क स्थापित करने के लिए काला नमक चावल से बने व्यंजनों के नमूने भी प्रदान किए गए।

ii. काला नमक चावल सहित गैर-बासमती चावल की किस्मों की व्यापक अनाज और पोषण गुणवत्ता प्रोफाइलिंग और मूल्यवर्धित चावल और चावल आधारित खाद्य उत्पादों के विकास पर एक अनुसंधान परियोजना अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (आईआरआरआई) को सौंपी गई थी। परियोजना पूर्ण हो चुकी है और दिनांक 9 जनवरी 2026 को रायपुर में आयोजित एक उद्योग कार्यक्रम में हितधारकों को रिपोर्ट और संबंधित जानकारी प्रदान की गई।

iii. एपीडा ने उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से नवंबर 2025 में सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल के लिए एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम-सह-क्रेता-विक्रेता बैठक का आयोजन किया, जिसमें 1,200 से अधिक किसानों और हितधारकों ने भाग लिया; इसके अतिरिक्त, वर्ष 2022 से, उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल के हितधारकों के लिए 17 प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें लगभग 6,500 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

iv. काला नमक चावल आपूर्ति श्रृंखला के दो स्टार्टअप को एपीडा के भारती-निर्यात सक्षमता त्वरण कार्यक्रम के तहत शीर्ष 100 स्टार्टअप में चुना गया है।

(ग) किसी उत्पाद को जीआई टैग प्रदान करना माल का भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 और माल का भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) नियम, 2002 द्वारा निर्देशित होता है। तदनुसार, उपर्युक्त अधिनियम और नियमों के तहत विनिर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार योग्य पाए गए उत्पाद को भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्रदान किया जाता है।

******